

9.4-18 फरमावली पेश हुई। पब्लिकरान बलील उपर  
 टी. गांधी साहब के साबन्ध में एक  
 एक अन्य पत्रकारी के गांधी में दि. 9-4-18  
 को पत्रकारी करवाने के आदेश जारी किए  
 जाने के कारण साबन्ध कर को अब आवक  
 नहीं रह गई है अतः गांधी साहब को  
 से खीरज किया जाता है। T.I. गांधी के  
 साबन्ध में फरमावली एवं अन्य पत्रकारी  
 को फरमावली का अवलोकन किया गया तो  
 पत्रकारी होने लगे माननीय संभार  
 साहब महोदय के क्रिया दि. 7-2-18  
 के द्वारा ही पाबन्द कर रखा है जिससे  
 T.I. गांधी का कोई औचित्य नहीं रह जाता  
 है इसलिये T.I. गांधी को खीरज  
 किया जाता है फरमावली के सल्लु श्रुमार होकर  
 करे लकर से कर हो। आदेश खले न्यायालय  
 में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
 साँभर लोक